प्रेस विज्ञप्ति

19-08-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ED), कोच्चि ज़ोन ने M/s कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा किए गए कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और रिश्वत के भुगतान के मामले में, प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत 18-08-2026 को कोझिकोड में 9 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और रिश्वत देने के मामलों में 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (SFIO) की जांच के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी। SFIO ने कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए 03.04.2025 को प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (मुकदमा चलाने की शिकायत) दायर की। SFIO की जांच से पता चला कि CMRL ने 15 वर्षों के दौरान 182 करोड़ रुपये के फर्जी नकद खर्च दिखाए, जिनका इस्तेमाल अलग-अलग लोगों को रिश्वत देने के लिए किया गया था। CMRL द्वारा दिखाए गए फर्जी खर्चों में से एक खर्च केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पी. विजयन की बेटी श्रीमती वीणा को किए गए भुगतान से संबंधित है। श्रीमती वीणा की कंपनी, M/s एक्सालोजिक सोलूसंस प्राइवेट लिमिटेड (Exalogic Solutions Private Limited, एक 'वन-पर्सन कंपनी') को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से IT कंसल्टेंसी सर्विस के नाम पर कुल 2.78 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी वाला पेमेंट मिला। इसके अलावा, CMRL के MD श्री शशिधरन कार्था द्वारा चलाई जा रही कंपनी M/s एमपावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Empower India Capital Investment Private Limited), (EICPL) ने एक्सालोजिक को कुल 50 लाख रुपये का लोन दिया, जबकि एक्सालोजिक समय पर लोन नहीं चुका पा रही थी।

ईडी की पिछली जांच से पता चला था कि एस.एन. शशिधरन कार्था की अगुवाई में CMRL के मैनेजमेंट ने अपराध से कमाई (proceeds of crime) की थी और कई लोगों को रिश्वत दी थी। श्रीमती वीणा उन लोगों में से एक हैं जिन्हें बिना कोई सेवा दिए CMRL से पैसे मिले थे। इससे पहले, ईडी ने 27-05-2026 को श्रीमती वीणा और CMRL के प्रमोटरों के यहां तलाशी ली थी। उस तलाशी के दौरान, ईडी को श्रीमती वीणा द्वारा रखे गए हाथ से लिखे कुछ हिसाब-किताब के रिकॉर्ड मिले थे। हाथ से लिखे नोट्स में उन लोगों के नाम, संभाली या खर्च की गई रकम, दुबई भेजी गई रकम वगैरह की जानकारी थी। इन हिसाब-किताब में "AED" [दुबई की करेंसी] और भारतीय रुपयों में संभाली गई रकम का ब्योरा था। नोट्स के मुताबिक, दुबई भेजी गई रकम लगभग 3.49 लाख AED [जो लगभग 85 लाख रुपये के बराबर है] थी। भारतीय रुपयों का हिसाब-किताब लगभग 20.05 करोड़ रुपये का था।

ईडी ने हाथ से लिखे हिसाब-किताब ज़ब्त किए। श्रीमती वीणा से ज़ब्त किए गए डिजिटल डिवाइस में एक सिम कार्ड की फ़ोटो भी मिली, जो वाई-फ़ाई राउटर में इस्तेमाल के लिए किसी और के नाम पर लिया गया था। शक है कि उन्होंने यह सिम और वाई-फ़ाई राउटर किसी और के नाम पर इसलिए लिया था ताकि इंटरनेट-बेस्ड कॉल के ज़रिए बातचीत की जा सके। तलाशी के दौरान उन सभी लोगों को शामिल किया गया जिनके नाम श्रीमती वीणा के हाथ से लिखे हिसाब-किताब में थे, और उस व्यक्ति को भी जिसने सिम कार्ड दिया था।

तलाशी अभियान के दौरान कई डिजिटल डिवाइस ज़ब्त किए गए और बयान दर्ज किए गए। हवाला चैनलों के ज़रिए पैसे के लेन-देन से जुड़े सबूत भी मिले हैं। ईडी की ज़ब्ती से पता चलता है कि श्रीमती वीणा अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से ज़्यादा रकम संभाल रही थीं। उनके हाथ से लिखे हिसाब-किताब में बताई गई रकम, CMRL से मिली रकम से कहीं ज़्यादा है। ईडी कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।

आगे की जांच जारी है।